

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III--Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 162] No. 162] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सं. 28-15/2011-आयुर्वेद (न्यूनतम स्तर).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्व अनुमित से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भः-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाः-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;-
- (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
- (ख) 'कॉलेज' से आयुर्वेद महाविद्यालय या संस्थान जिसमें आयुर्वेद का स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, अभिप्रेत है।
- (ग) 'संलग्न अस्पताल' से आयुर्वेद महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण आयुर्वेद अस्पताल अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:-

- (1) अधिनियम की घारा 13क के अधीन स्थापित आयुर्वेद कॉलेज एवं घारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमित प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे।
- (2) यदि कॉलेज 31 दिसम्बर, 2014 तक इन अधिसूचित विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसे प्रवेश करने हेतु पांच वर्ष की अविध से अधिक अनुमित नहीं दी जायेगी, जिसके लिए यादृच्छिक जांच जो किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, के अतिरिक्त या जब तक केन्द्र सरकार या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवश्यक नहीं समझा जाय, कालेज का निरीक्षण नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय परिषद् अनुमित समाप्त होने की अविध से तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन करेगी।
- (3) सशर्त अनुमित केवल उन्हीं कॉलेजो को दी जायेगी जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का 28 फरवरी, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2014-15 हेतु अलग से किए गए निरीक्षण के आधार पर कम से कम अनुसूचि v में उल्लिखित शिक्षकों की आवश्यकता को, विनियम ७ के उपविनियम (2) में उल्लिखित क्रियाशील अस्पताल एवं अनुसूचि-VII में उल्लिखित उपकरण की उपलब्धता को पूरा करते हैं, ऐसे सशर्त अनुमित प्राप्त कॉलेज या जिन्हें अनुमित से इन्कार कर दिया गया, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और/या 2014-15 हेतु, 31 दिसम्बर, 2014 तक विनियमों में उल्लिखित वांछित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- (4) समस्त विद्यमान कॉलेज, जो विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से आगे अनुमित नहीं दी जायेगी और ऐसे कॉलेजों के आवेदन, धारा 13क एवं 13ग के अधीन रद्द किये जायेंगे एवं अलग से अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
- 4. भूमि की आवश्यकता:— इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो। 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नही हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा। कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एम.ए.आर.) या प्लोर स्पेस इंडेक्स(एफएसआई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमित पर आधारित होगा। केन्द्र सरकार की अनुमित के लिए आवेदन करते समय स्थानीय

नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-1। के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए। अनुसूची-। एवं अनुसूची-।। में वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार कॉलेज एवं अस्पताल के लिए अलग से भवन होना चाहिए। भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या राज्य के नियमों के अनुसार अधिकतम अनुमित अविध के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमित का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा। 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजो के लिए यह शर्त लागू नही है।

स्पष्टीकरण- तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) या फ्लोर स्पेश इंडेक्स (एफएसआई) उस स्थान की भूमि के आकार के लिए इमारतों की कुल तल क्षेत्र अनुपात है या इस तरह के एक अनुपात पर लगायी सीमा पर है।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर और 61 से 100 छात्रों तक चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र कमशः कॉलिज एवं अस्पताल के लिए होगा। अनुसूची-। एवं अनुसूची-॥ में उल्लिखित विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग-अलग किया जाना चाहिए।
- (2) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारिक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा। वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-।।। में विहित अनुसार होना चाहिए।
- 6. प्रवेश क्षमता:- स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। यदि किसी भी कॉलेज में 60 से कम या 61 और 100 सीटों की प्रवेश क्षमता है, उसे अनुसूची-। से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

(1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने ओर संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमित या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को

अनापित प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमित या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:- छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति 1:1, 1:1 एवं 1:2 जैसा क्रमशः स्नातक पाठ्यक्रम के लिए तालिका-। में दिया गया है के अनुसार होग। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका-।

		तालका-ा	
वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रूग्ण विभाग में न्यूनतम छात्र शय्या 1:1	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
60 ডার	60 शय्या	24	
61 से 100 छात्र	100 शय्या		120
	200 राजा	40	200

- (3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थित के अभिलेख का रखरखाव: कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द का डयूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल के भी कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (4) स्थान आवश्यकता:- पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल उपयुक्त बड़ा बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगियों, प्रतीक्षा क्षेत्र, औषि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, साईड फार्मेसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, पंचकर्मी थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव, भण्डार, स्त्री एवं पुरूष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सो एवं अन्य कर्मचारियों हेतु डयूटी कक्ष। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-। के अनुसार होगा।
- (5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होगें:-
 - (i) कायचिकित्सा
 - (ii) पंचकर्म
 - (iii) शल्य तंत्र

- (iv) शालाक्य तंत्र (दो कमरे विहरंग रूग्ण कि लिए)
 - (क) नेत्र रोग विभाग
 - (ख) कर्ण-नासा-मुख एवं दंत रोग विभाग
- (v) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
- (vi) कौमारभृत्य(बालरोग)
- (vii) स्वस्थवृत्त एवं योग
- (viii) अत्यायिक (आपातकाल)
- (6) अन्तरंग रूग्ण विभाग:- अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरूष एवं स्त्री वार्ड अलग होगें और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

अन्तरंग विभाग	वितरण 🗠	60 शय्या	100 शय्या
काय चिकित्सा	40% शय्या	24	40
(पंचकर्म, रसायन एवं मानस रोग आदि)			
शल्य तंत्र	20% शय्या	12	20
शालाक्य तंत्र	10% शय्या	6	10
प्रसूति एवं स्त्रीरोग	20% शय्या	12	20
कौमारभृत्य (बालरोग)	10% शय्या	6	10

- (7) रोग निदान एवं प्रयोगशालीय परीक्षण प्रयोगशाला (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं आयुर्वेदिक नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची—1. अनुसूची—11, अनुसूची—17, अनुसूची—17, अनुसूची—17, अनुसूची—17, अनुसूची—18, अनुसूची—18, अनुसूची—19, अनुसूचीयी
- (8) अस्पताल के कर्मचारी: 60 शय्याओं वाले अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टॉफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी एवं शय्याओं के बढ़ाने के अनुपात में स्टॉफ की बढ़ोतरी भी करनी होगी।

8. कॉलेज के लिए-

- (1) शिक्षण स्टॉफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु नौ अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (मार्डन मेडीसिन के आट शिक्षक तथा योग का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होगे।
- (2) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयुः शिक्षको की सेवा निवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।

शिक्षकों का पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में सेवा निवृत्ति की आयु तक पुननियुक्त किया जा सकता है।

(3) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकताः महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ अनुसूची-V! में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. विविध आवश्यकताए-

- (1) कार्यालय सहायताः अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सुविधा प्राप्त होगी।
- (2) कॉलेज परिषद्ः प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में समाविष्ट हो। पाठ्यक्रम तथा प्रिशक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शिक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार परिषद् की बैठक की जायेगी। परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आविधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जेसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठके तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।
- (3) कॉलेज की वेबसाईटः प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य अथवा चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सिहत उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टॉफ का विवरण।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज का गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्कमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ड़) चालू एव गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी (स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर) के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।

- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (4) बॉयोमेट्रिक उपस्थितिः शिक्षण, गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेबकैमरा सहित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पद्धति पर आधारित बॉयोमेट्रिक उपस्थिति रखना वांछनीय है।

10. नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -

- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमित चाहने वाले आयुर्वेद कॉलेज को इस विनियम के उप-विनियम (2) से (5) में दिये गये चरणवार तरीके से आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को स्थापित करना होगा।
- (2) साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु कॉलेज छात्रों के प्रथम बेच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा।
- (क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक वर्ष से कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उस भूमि पर ही होना चाहिए।
- (ख) प्रथम व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ग) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कायाचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग तथा बाल रोग में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (घ) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें सौ छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हो।
- (इ) प्रथम व्यायसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरपुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होगें।
- (च) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमे कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (छ) मानको के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पचास प्रतिशत।

- (3) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा।
 - (क) प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
 - (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु कायाचिकित्सा, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग तथा कौमारभृत्य विमार्गों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
 - (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए एक सी पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सी प्रवेशों के लिए दो सी पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ।
 - (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
 - (इ) एक सौ पचास प्रजातियों की पौघे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
 - (च) कॉलेज के लिए पूर्णतः विकसित भवन तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला।
 - (छ) महाविद्यालय के पास शैय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थित रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय की भवन होना चाहिये।
 - (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का 75 प्रतिशत।
 - (झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी पचास वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्र की एक कियात्मक प्रशिक्षण हेतु साइड औषधि निर्माण शाला (रसायनशाला) होगी जिसमें पाठय्क्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (4) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
 - (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु कायचिकित्सा, शल्य, शालाक्य, प्रसूत तंत्र एवं स्त्री रोग तथा कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एक नैदानिक शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए एक सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों के लिए दो सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ।
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसन्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ड़) एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधीय पौधी के बगीचे में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (च) कॉलेज के लिए पूर्णतः विकसित इमारत तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला।
- (छ) कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थित रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय की भवन होनी चाहिये।
- (ज) मानको के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का 75 प्रतिशत।
- (झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी पचास वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) होगी जिसमें पाठय्क्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (5) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
 - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सिहत विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

- (ख) विशिष्ट मानकों के अनुसार कॉलेज, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की अपेक्षाएं।
- (ग) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें साठ तक प्रवेश क्षमता हेतु 150 से अधिक के तथा सौ तक प्रवेश क्षमता हेतु 250 से अधिक के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हो।
- (घ) एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा जिसमें कम से कम दो सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधें हों।
- (इ) कॉलेज के पास शैय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थित रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकिसत चिकित्सालय की इमारत होनी चाहिये।
- (च) पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला तथा
- (छ) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (5) किसी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमित प्रारम्भ में एक वर्ष की अविध के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमित की अविध वार्षिक आधार पर विनियम 10 के अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी। यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमित की अविध बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमित की अविध समाप्त होने से छः माह पूर्व परिषद् में आवेदन करे। अनुमित की अविध बढ़ाये जाने की यह प्रिक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- 11. उपकरण, यन्त्र-समूह इत्यादि की सूची- छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

अनुसूची-I

(विनियम 4, विनियम 5 का उप विनियम (1), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (4) एवं (7) देखें)

आयुर्वेद महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

कुम	विवरण '		ार निर्मित क्षेत्र टिर में)
संख्या		60 ডার্সী নক	61 से 100 छात्रों तक
, ,	(2)	(3)	(4)
(1)	०० - ने क्या सा हा निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	100	150
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड		
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा		
	अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष	•	
5.	सहायक मैट्रक कक्ष (दो के लिए)	li.	
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन	300	470
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)		
1.	कायचिकित्सा बाह्य रोगी विभाग शौचालय प्रसाधन एवं		: .
	वाशबेसिन सहित	1	
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग शौच । लय, वाश बेसिन तथा परीक्षा		
	कक्ष सहित	 	
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग शौचालय तथा बेसिन सहित	-	
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा		
· 	क्रिक रूप सदित	-	
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा		
1	ਾਲਤੇਸ਼ਤ ਸਫ਼ਿਰ	_	
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग प्रदर्शन क्षेत्र, प्रसाधन	, .	
	्रा न्या त्राप्रवेसिन सहित		
7.	अलागिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बासन सहित	-	
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार-सूत्र कक्ष	_	
9.	औषधालय		1
10.		_	
11.	भण्डार	<u> </u>	
12.	रोगियों के लिये पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष	 	1000
IV		900	1650
1.	्र नेन्य प्राथम स्थापि स्नीर्गं	ह	
	सहित	<u> </u>	

	THE OF EACH EXTRAORDI	<u> </u>	[PART III—SE
2.	कायाचिकित्सा महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानग्		
	सहित	<u> </u> [ह	
3.	पंचकर्म पुरूष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	शल्य पुरुष वार्ड संजयन एएएएर कर्		
6.	शल्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	शल्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सिहत		•
8.	शालाक्य तंत्र वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
	प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित	ह	
	कौमारभृत्य (बालरोग) वार्ड संलग्न प्रसा <mark>धन कक्ष एवं स्ना</mark> नगृह	5	
	······································	ľ	
Ι,	ात्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न	7	1
'	'''' '' ''''' '' '' '' '' '' '' '' '' '	1 .	
X	त्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न	-	
/ ~!	भारत तथा ४५ स्वावगृह साहत		1 1
	ीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह	1	}
	ल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	
	ख्य शल्यकर्म कक्ष	130	250
	धु शल्यकर्म कक्ष		1
	लाक्य शल्यकर्म कक्ष		1
4. प्रर	नाधन कक्ष एवं स्नानगृह सिहत प्रसूति कक्ष		
नव	जिति शिशु अनुरक्षण कक्ष		
6. क े.	द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव		
7. स्क	ब कक्ष	j	
	पुनःश्चेतना कक्ष		1
9. ਹਿ	केत्सकों का दस्ती क्ला गंग		
10. us	केत्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानागृह सहित		
	क्षि/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न धन तथा स्नानागृह सहित		İ
11. m	न्य तथा स्वानागृह साहत		ĺ
VI ties	वर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित कर्म खण्ड	1	
	न कक्ष (पुरुष)	200	350
2. 1.1 2	1 404 (1/44)		
	न कक्ष (महिला)		
	न कक्ष (पुरुष)		
\٩٩.	न कक्ष (महिला)		
<u>- । शिराध</u>	धारा कक्ष (पुरूष)		
5. शिरोध	थारा कक्ष (महिला)		.
7. वमन	कक्ष (पुरुष)		
3. वमन	कक्ष (महिला)		
). विरेच	न कक्ष (पुरुष)		
0. [a] = 1.	न कक्ष (महिला)		

11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)	-,	
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निकर्म, प्राच्छन इत्यादि कक्ष	-	
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह	· -	
16.	चार संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरूषों के लिये तथा चार महिलाओं		
	के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशबेसिन तथा गीजर की सुविधा		
	हों। ये प्रसाधन वार्डों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	100
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	केन्द्रीय प्रयोगशालाः	100	150
	विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक		
	विभागों सहित दो सौ वर्ग मीटर का सुसज्जित तथा विस्तृत		
	क्षेत्र। मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे।		İ
	टी.एम.टी. ई.सी.जी. अथवा इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक		
	उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।		:
IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:-	50	100
	विकिरणविज्ञानी कक्ष, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष,	•	
	भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल		
<u> </u>	अथवा पंजीयन अथवा रिपोर्ट कक्ष)		
Х	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीनः	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कु ल	2,000	3,500

टिप्पणीः

- 1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र ± 20% में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- 2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।

अनुसूची-11

[देखें विनियम 4, विनियम 5 का उप-विनियम (1), बिनियम 6 एवं विनियम 7 का उप-विनियम (7)]

आयुर्वेदिक कॉलेज की आवश्यकताएं

-			0.00
क्रम सं.	विवरण	1	पर निर्मित क्षेत्र
	,		मीटर में)
		60 छात्रों तक	
(1)	(2)	(3)	(4)
·	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभागः- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग		
	में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल,		
	स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा		
	अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरूष		
	एवं महिलाओं के लिए अलग प्रशाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हालः साठ छात्रों के लिए पांच व्याख्यान	400	800
	हाल एवं इकसठ से सौ छात्रों से अधिक के लिए दस		
	व्याख्यान हाल, प्रत्येक अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र के होगें,		
	जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक		
	यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार		
	का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा।		
	प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए		
	पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।		•
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल:	150	300
	बैठकों, विचार गोष्टियों, सम्मेलनों, संगोष्टी, परीक्षा,		
	मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक		
	वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ		
	व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली		
	तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्रव्य-दृश्य पद्धति की		
	पर्याप्त सुविधाएं होंगी।		•
4.	केन्द्रीय पुस्तकालयः केन्द्रीय पुस्तकालय में कम से	100	200
	कम सौ छात्रों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा	į	
	अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त		• .
	स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष		
	का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित	_	
	फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा।	.	
ļ	पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर,		-
	पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी।		
1	छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में		-
	आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के	1	
	विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी।		

	छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैंचों के प्रवेश से पूर्व	. •	
	पुस्तकों की संख्या क्रमशः पांच हजार तथा सात		
	हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा	•	
	अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार		
	पुस्तकें रखेगा।		7400
5.	शिक्षण विभागः चौदह शिक्षण विभाग होंगें जिनमें से	कुल 1200	कुल 2400 वर्गमीटर तथा
	प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए (प्राध्यापक तथा	वगमाटर तथा	विघटन निम्नवत्
	विभागाध्यक्ष हेतु पच्चीस वर्गमीटर, सह-आचार्यो	विघटन	विषटन निम्मवर्त् होगाः
	अथवा व्याख्याता हेतु पन्द्रह वर्गमीटर), एक छोटा	निम्नवत् होगाः	61,111
	विभागीय पुस्तकालय (पच्चीस वर्गमीटर), एक छोटा		
	कार्यालय (पन्द्रह वर्गमीटर), गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु	i*	`
	कार्य स्थान (पन्द्रह वर्गमीटर) तथा विशिष्ट विभाग की		
	आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला		
	अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष विभाग		
	के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-		100
(i)	संहिता, संस्कृत तथा सिद्धान्त विभाग तथा इसके	50	100
	अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष		250
(ii) रचना शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक	125	250
	हवादार शवच्छेदन हॉल (एग्जॉस्ट फेन्स तथा		,
	विषेशकर एयर कन्डीशन्स द्वारा हवादार), पर्याप्त		-
	लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक		
	कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा		
	प्रशीतत (फीजर) सहित एक शव का संलेपन करने		
	हेतु कक्ष तथा वैकल्पिक माइको ऐनॉटमी प्रयोगशाला		
<u> </u>	सहित रचना शरीर संग्रहालय;		450
(ii) किया शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव	75	150
	रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित किया	ľ	
	शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;		<u> </u>
(iv		125	250
	वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा		
	फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;		
(1	~ ~	75	150
	अतिरिक्त रसशास्त्र प्रयोगशाला एवं संग्रहालय;		
	औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला भी शिक्षण		
	हेतु प्रयोग की जायेगी;		
(v	7 00	75	150
,	विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला;		
- (v	i) या तो कॉलिज में अथवा अस्पताल में स्वस्थवृत्त एवं	75	150
	योग विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;		
(vi	ii) अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक विभाग तथा इसके	50	100
	अतिरिक्त संग्रहालय;		
	MINICAN ANGRA		_l -

(ix)	कायचिकित्सा विभाग;	75	
(x)	पंचकर्म विभाग;	75	150
(xi)	शल्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व	37	75
	शिक्षकीय कथा स्थापन अति। (१५त संग्रहालय व	75	150
	शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी (योग्या) प्रयोगशला;		
(xii)			
(AII)	शालाक्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व	75	150
<u></u>	शिक्षकीय कक्ष;	j	
(xiii)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग तथा इसके अतिरिक्त	50	100
	संग्रहालय व शिक्षकीय कक्षः; तथा		100
(xiv)	कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग तथा इसके अतिरिक्त	38	
	संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	36	75
	* टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेर्जे		, <u>-</u>
	कडोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी नाहिने कार		
	शैल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित		
	व्यवस्था होनी चाहिए।		
6.	शिक्षण औषघशाला तथा औषघि गुणवत्ता-परीक्षण	100	200
	प्रयागशालाः कॉलेज में विभिन्न प्रकार की आयर्वेट की	100	200
	औषधियां जैसे चूर्ण, वटी, गुग्गलु, आसव अरिष्ट,		
	स्नेह कल्प, क्षार तथा लवण, लौह, अवालेह,		
	क्षिपक्वा रसायन इत्यादि तैयार करने हेतु उचित		
ı	प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला,		-
	एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस -	ĺ	
	औषध एकीकरण होगा।		
7.	सामान्य कक्षः बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध सहित बालक		
.	तथा बालिकाओं देन प्रधान निष्य साहत बालक	50	100
	तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष प्रत्येक पचास वर्गमीटर क्षेत्र के उपलब्ध होगें।		
8.			
-	कैन्टीनः कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के	50	100
	बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध		
	होगी।		

टिप्पणीः

- 3. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र \pm 20% में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- 4. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।

अनुसूची-III

[विनियम 5 का उप-विनियम (2), विनियम 6 देखें]

एक आयुर्वेदिक कॉलेज की समवर्गी आधारमूल संरचना की आवश्यकताएं

कुभ सं.	विवरण		ि क्षेत्र ोटर में)
}		60 छात्रौ तक	61 से 100 छात्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वनौषधि उद्यानः 250 प्रजातियों के वनौषधि पौर्यो तथा पच्चीस से	2500	4000
	पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक		
-	औषधीय पौधों का बगीचा क्यॅलेज में विद्यमान होगा।		

टिप्पणी:

- 1. उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र ± 20% में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- 2. निरीक्षण/परिदर्शन के समय, कम से कम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे उपलब्ध होने चाहिये।

अनुसूची-IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 7 का उप-विनियम (8) देखें]

आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सालय के स्टॉफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1. मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि।
		2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता के रूप में
	·	पदेन।
		3. यदि चिकित्सा अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद
		से कम अर्हता सहित से कम न हो पहले से
		ही अस्तित्व में है तो चिकित्सा अधीक्षक का
		पद जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि।
		2. शिक्षण स्टॉफ के अतिरिक्त नैदानिक विषय
		विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पूर्ण
		कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग
		विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	02
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा	05 (01 कायचिकित्सा, 02 प्रसूति एवं स्त्रीरोग
	आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.	तथा 01 शल्य में तथा 01 कौमारभृत्य में)
	एम.ओ या आर.एएस.ओ या एम.ओ.	
6.	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	01
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टॉफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैय्याओं के लिए 1
8.	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 20 शैय्याओं के लिए 1
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	02
10.	ड्रेसर •••••••	02
11.	भण्डारपाल	01
	कार्यालय स्टॉफ (पंजीयन, अभिलेख	02
	अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	

भारत का राजपत्र : असाधारण

12.	डार्क रूम परिचर	01
13.	शल्य कक्ष परिचर	01
	आघुनिक चिकित्सा स्टॉफ	
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	01 अंशकालिक / संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	01 अंशकालिक /संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	01 अंशकालिक / संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	01 (संविदा पर एलोपैथिक संज्ञाहरण में स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्याविशेष का संज्ञाहरण) शल्य विभाग से
- 		01 अंश्रकालिक / संविदा पर
19.	नेत्र विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा. पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	01 (संविदा पर एलोपैथिक विकिरण विज्ञान में
21.	विकिरणविज्ञा <u>नी</u>	प्रात्ने वर श्लामायम् । मार्गि स्था
		स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्या-विशेष का विकिरण विज्ञान) शल्य शिक्षण विभाग से।
		01 अंशकालिक/संविदा पर
22.	दंत चिकित्सा	
23.	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण	01
 	चित्रक	चिकित्या विद्यान अनुभाग के लिए स्टॉफ
बाह्य रोगी	विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु पंचकर्म पंचकर्म विशेषज्ञ	निवस्ति शिक्षण विभाग के शिक्षक
	पंचकर्म विशेषज्ञ	01
25.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रिजस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक	01
	(आयुर्वेदिक) पंचकर्म परिचारिका	01 (क्रम संख्या 7 पर निर्धिष्ट परिचारिका के
26.	पचकम पारचाहरका	अतिरिक्त)
	Transfer Transfer	02 पुरुष तथा 02 महिला ,
27.	पंचकर्म सहायक योग शिक्षक अथवा विषेशज्ञ	01 (स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग से)
28.		
शल्यकर्म क	श्रह्म एवं क्षारसूत्र विकित्सा-विज्ञान शल्य एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान	शत्स्य विभाग के शिक्षक
29.		Section 19 101 10 100 100
	विशेषज्ञ	01
30.		01, ये परिचारिकाएं क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट
31.	परिचारिकाएं	परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।
प्रश्नव कक्ष		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32.	<u> </u>	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के शिक्षक
33.		01
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

34	गेगशाला	
	विकृतिविज्ञानी अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञानी	01
35.	A series of the transfer of th	02
36.	चपरासी अथवा परिचर	01
शेक्षण औष	पशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला	
37.	औषधन्नाला प्रबन्धक अथवा अधीक्षक	रस-शास्त्र, भैषज्य कल्पना का शिक्षक
38.	चपरासी अथवा परिवर	01
39.	कामगार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
40	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
41.	भेषज अभिज्ञानी (अंश्रकालिक)	प्रयोगशाला तकनाशियन) (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)

टिप्पणी:

- 1. साट से अधिक शैच्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
- 2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
- 3. अनिवार्य ड्यूटी स्टॉफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
- 4. गैर तकनीकि स्टॉफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूची-V

विनियम 3 का उप-विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 8 का उपविश्विपम (1) देखें

आयुर्वेदिक कॉलेज शिक्षण स्वाफ का क्विरण

क .	शिक्षण विभाग	शिक्षण स्ठाँफ की आवश्यकता						
सं.		60 छात्रों तक			61 से 100 छात्रों तक			
(1)	(2)	(3)			(4)			
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	
(1)	संहिता एवं सिद्धांत	1 अथवा 1		1 आयुर्वेद और	1	1	1 आयुर्वेद और	
			-	1 संस्कृत			1 संस्कृत	
(2)	रचना शारीर	1 अथवा 1		1	1	1	1	
(3)	किया श्रीर	1 अथवा 1	- ; ;	1	1	ì	i	
[4]	द्रव्य गुण	1 अथवा 1		1	1	1	1	
(5)	रस शास्त्र एवं भैषज्य	1 अथवा 1	;	1	1	1	1	
	कल्पना			1			1	
(6)	रोग निदान एवं विकृति	1 अथवा 1		1	1	1	1	
	विज्ञान							
(7)	स्वस्थवृत्त एवं योग	1 अथवा 1	- · · ·	1	1	1	1	
(8)	अगद तंत्र एवं विधि	1 अथवा 1		1	1	1	1	
	वैद्यक ,				-			
(9)	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री	1 अथवा 1		1	1	1	2	
	रोग							
(10)	काय चिकित्सा	1	1	1	1	1	2	
(11)	शल्य	1 अथवा 1	·	1	1	1	1	
(12)	शालाक्य	1 अथवा 1		1	1	1	1	
(13)	कौमार भृत्य (बाल रोग)	1 अथवा 1	 	1	1	1	1	
(14)	पंचकर्म	1 अथवा 1	-	1	1	1	1	
<u> </u>	1	1	5	15	14	14	17	
······	कुल		30	., , _ , , , , , , , , , , , , , , , , ,		45		

टिप्पणी:

- 1. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट स्वस्थवृत्त बया योग विभाग में एक योग शिक्षक तथा आधुनिक चिकित्सा के उसक परामर्थक्षका शिक्षण हेतु अंभाकाविक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- 2. प्रवेश लेने की सशर्त अनुमित प्राप्त करने हेतु शिश्वकों की कमी प्रत्येक विभाग में कम से काम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आक्श्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- 3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विकियम, 2012 के विनियम 12 के अन्तर्गत समवर्गी विषयों में स्वाक्षकीलार आईखा का प्रावधान पांच वर्षों की अविथ हेतु उच्च संकाय (प्राध्यापक तथा प्रवादक) के पड हेतु भी स्वाह्य केंग्रा।

अनुसूची-VI

[विनियम 6 तथा विनियम 8 का उपविनियम (3) देखें] आयुवेर्दिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

कं. सं.	विभाग	पद	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
·		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	4
3.	संहिता एवं सिद्धांत	परिचर	1
1.	रचना शारीर	प्रयोगशाला तकनीश्रियन संग्रहलयपाल	1
<u>-</u>		लिफ्टर	1
i	क्रिया शरीर	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहलयपाल	_
	द्रव्य गुण	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		संग्रहलयपाल	i
•	रस शास्त्र	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
	20.00	प्रयोगशाला सहायक	1
•	सेग निदान एवं विकृति विज्ञान	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालय	2
	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालय	
0	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	परिचर	1
1	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	परिचर	1
2.	काय चिकित्सा	-	
3.	शल्य	1	
·-	शालाक्य		2
	पंचकर्म		
	कौमार भृत्य (बाल रोग)	1	
· .	हरबल गार्डन	माली	1
		बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	2

(सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

अनुसूची-VII

[विनियम 3 का उप-नियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (7), विनियम 10 का उप-विनियम 3 (अ), विनियम 11 (देंखें)]

(क) किया शारीर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर
5.	हीमोसाइटोमीटर
6.	स्फोरमोमैनोमीटर
7.	स्टेथेस्कोप
8.	क्लीनिकल धर्मामीटर
9.	नी-हैमर
10.	ट्यूनिंग फोर्क्स
11.	इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ
12.	स्टॉप वाच
13.	वाटर डिस्टीलेशन (स्टिल)
14.	थर्मामीटर, बैलेन्स, माइक्रोस्लाइडस
15.	कवर स्लिप, ग्लासवेयर
16.	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन विद स्पीड कंट्रोल
17.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
18.	पी.एच. मीटर इलेक्ट्रिक
19.	पी.एच. कम्पैरेटर विद डिस्क
20.	रेफ्रीजरेटर
21.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच
22.	स्पाइरोमीटर
23.	टोनोमीटर
24.	हाइड्रोमीटर
25.	विस्कोमीटर
26.	ओस्मोमीटर
27.	स्टेलम्मोमीटर
28.	स्टेरेलाइजर

(ख) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क.सं	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	
1.	ख ल्व यंत्र	
(क)	स्माल	
(ख)	मीडियम	
(ग)	पोर्सेलेन	
(ঘ)	तप्ता खल्व यंत्र	·
2.	हीटिंग डिवाइज	<u>्रिक</u>
(क)	गैस स्टोव	
(ख)	इलैक्ट्रिक स्टोव	
(ग)	हॉट प्लेट	
(ঘ)	चूल्हा (चारकोल)	
3.	वेसल	
(क)	फाइंग पेन	
(ख)	स्टील वेसल	
(ग)	स्पैदुला	
(ਬ)	लिडलस एण्ड स्पून्स	
(ড়)	नाइफ	<u> </u>
(च)	प्लेटस	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(চ্চ)	समदश यंत्र (टॉग्स)	
4.	विभिन्न आकार के मेजरिंग इक्विपमेन्टस	
5.	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर	·
क)	ब्रास	
ৰ)	कॉपर	
ग)	स्टील इत्यादि	
	विभिन्न धारिताओं की बेलेन्स	
क)	फिजिक्ल	
ब)	केमिकल	
	पोउन्डिंग एपेटस (उलुरवाला यंत्र)	
.	सीव्स (एसोर्टड संख्या एवं आकार)	
	वेट ग्राईन्डर	
	मेक्सी	
	गुस एक्सट्रेक्टर "	
	पुटस (विभिन्न प्रकार)	
	॥इरोमीटर	

14.	धर्मामीटर
15	प्रेशर कुकर
16.	भूषा (कुसिबल्स)
17.	कोष्टी विद ब्लोअर
18.	रेफ्रीजरेटर
19.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन पर्पस
20.	यंत्र
	दोला यंत्र
(ख)	वलूका यंत्र
(শ)	पिटर यंत्र
(घ)	भूधारा यंत्र इत्यादि
21.	डिस्टीलेशन एप्टेटस एण्ड अर्क यंत्र
22.	इनेमल ट्रेज
23.	स्प्रीट लैम्प
24.	माइक्रोस्कोप
25.	अर्थेन वेसल पॉटस
26.	कुपिपक्य भट्टी
27.	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स

(ग) द्रव्यगुण (फार्माकोग्नोसी) प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यन्त्र
1.	फील्ड मैग्निफायर
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप
3.	डिसैक्टिंग माइक्रोरकोप
4.	माइक्रोस्कोप
5.	म्लाइड बॉक्स कवर महित
6.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर
7.	इतैिक्ट्रोनिक्स वैलेन्स
8.	डिसेक्टिंग बॉक्स
9.	इनेमल ट्रे
10.	रेयजेन्टस
(as)	क्लोरोफार्म
(ख)	एल्कोहल
(ग)	हाइड्रोक्तोरिक एसिड
(६)	सन्पर्शिक एसिड

(ड़)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	
(च)	बैन्डिक्ट सोलूशन	
(छ)	सोडियम नाइट्रेट	
(স)	पोटेशियम नाइट्रेट	
(돢)	साइट्रिक एसिड	
(স)	आयोडिन	
(ਵ)	इथाइल एल्फोहल	
(ਤ)	पोटेशियम आयोडाइड	
(ड)	जायलोल / शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)	

(घ) रोग निदान प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

कं.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण	र जार गर्मा का विवर्
1.	बाइनोक्यूलर माइकोस्कोप	
2.	एक्स रे व्यू बाक्स	
3.	स्टरलाइण्ट िस्पोसेवल तैन्सर/नीडिल	
4.	स्केयर द्युव साहिली	
5.	एच.बी. पिपेट	
6.	ड्रॉपर	
7.	ग्लास रोड	
8.	डन्त्यू.ची.सी. पिपेट	
9.	इम्पृद्ध न्योबार चेम्बर	
10.	कवर स्लिप	
11.	रेड सेल पिपेट	
12.	साफ स्लाइड	
13.	इन्क्यूवेटर	
14.	विन्द्रोब दुबूब	
15.	पैस्टयोर पिपेट	
16.	रोन्ट्रिफ्य्ज ग्रेन्यूटी मशीन	
17.	वैस्टरभ्रेन पिपेट	
18.	रबर शीट	
19.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड	
20.	तिटमस् पेपर	
21.	पीएच इन्डिकंटर पेपर न्ट्रिस	
22.	यूरिनोमीटर	
<u>23.</u>	मल्टी स्टिक्स	
24.	बनसन बनेर	
25.	टेस्ट ट्यूब	

	टेस्ट ट्यब होल्डर
26.	फिलट्र पेपर
27.	स्टील अलमारी
28.	स्टील रैक
29.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित शीशे के जार
30.	
31.	ग्लास व्यू रैक मैग्नीफाइंग रैक
32.	
33.	आटोक्लेव
34.	वाटरबाथ
35.	विभिन्न प्रकार की पृथक करने हेतु फनल
36.	स्टाप वाच
37.	अल्ट्रावायलेट लैम्प
38.	मोनोआक्यूलर माइक्रोस्कोप आइल इमरसन लैंस 20 ई के साथ
39.	कैपिलरी ट्यूब
40.	हॉट एयर ओवन
41.	आइल इमरसन माइक्रोस्कोप के सार्थ
42.	रेफ़िजरेटर
43.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ बोतल नमूने एकत्र करने हेतु
44.	बी.पी. अप्रेटस
44. 45.	बी.पी. अप्रेटस स्टेथस्कॉप
 	The state of the s
45.	स्टेथस्कॉप
45. 46. 47.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर
45. 46. 47. 48.	स्टेथस्कॉप धर्मामीटर टंग डिप्रैसर
45. 46. 47. 48. 49.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च
45. 46. 47. 48. 49.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर
45. 46. 47. 48. 49. 50.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसरिंग टेप
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसरिंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसिरिंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर)
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसरिंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसरिंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर)
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.	स्टेथस्कॅप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसरिंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क नेशल स्पेकुलम
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.	स्टेधस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर भैसिरेंग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क नेशल स्पेकुलम लेरिजोस्कोप
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसिरॅग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क नेशल स्पेकुलम लेरिजोस्कोप कैथेटरस
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसिरॅग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क नेशल स्पेकुलम लेरिजोस्कोप कैथेटरस प्रोव्य
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.	स्टेथस्कॉप थर्मामीटर टंग डिप्रैसर टार्च नी हेमर मैसिरॅग टेप ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट रिफलैक्टर (मिरर) वेइंग मशीन ट्यूनिंग फार्क नेशल स्पेकुलम लेरिजोस्कोप कैथेटरस

वी किट-ट्राईडोट (A from 3				•			
	ा । नम्म क	तरीके में)	·	· -				·
ग्ड बी.टी.किट •		<u> </u>						
उन्टर (हीमोओटोए	नालाइजर)		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
फाइल, एलएफटी	किट लाइपि	ड पोफाटन						
ए गर	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोए	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एण्ड बी.टी.किट	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एण्ड बी.टी.किट गउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)

(इ) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

कं.सं	. आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	शैडोलेस लैम्प
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)
3.	ऑक्सोजन सिलिडंर एवं मास्क
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ
5.	रैडिएन्ट वार्मर
6.	फोटो थैरेपी यूनिट
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)
8.	रोगी ट्रॉली
ς,	एनस्थितिया ट्रॉली
10.	एन्फ्रेन्टोमीटर
r1.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर
2.	फीटल डॉपलेर
3.	लॉ कैविटी फारसेप्स
4.	स्टरलाइजर
5.	मशीनोटोस रबर शीट
6.	कैटगट एवं थ्रैड
7.	स्पेकुलम - सिम्स
	– कसकोस
8.	पसव के लिए साधन गर्न की किसी है दें
).	प्रसद के लिए साधन एवं इपी सियोटोनी (सीजर, फोरसप्स, नीडल होल्डर इतयादि) बेबी ट्रे
).	ड्रा शीट
	प्तास्टिक एप्रन
	एचआईवी किट आत्यापिक रोगियों के लिए
-	सामान्य एवं छिद्र सहित तौलिए
	ग्लब्स

-	निबूलाइजर
	निबूलाइजर फोटोस्कोप
	निबूलाइजर फोटोस्कोप ऑटो क्लेव
	निबूलाइजर फोटोस्कोप

31	डबल डोम सैडोलैस लैम्प
32	पल्स ऑक्सीमीटर
33.	ऑक्सीजन सिलन्डर
34.	रिसक्सीसिटेशन किट
35.	बॉयलस एप्रेटस
36.	इलैक्ट्रो काटरी
37.	एमटीपी सक्सन मशीन
38.	एनस्थीसिया किट
39.	व्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर
40.	डायलेटर सैट (हैंगरस एण्ड हॉकिन्स)
41.	सिम्स स्पैकुलम
42.	एर्न्टारियर वैजाइनल वाल रिट्रेकट
43.	सिस्कोस स्पैकुलम
44.	यूटराइन साउन्ड
45.	वैलोस्लम
46.	एमटीपी सक्सन क्यूरेट
47.	नीडिलस
48	नीडिल होल्डर
49.	स्पंज हाल्डिंग फोरसेप्स
50.	टॉयल विकापस
51.	एवडोमिनल रिट्रैक्टर (डायन अन्य)
52.	ग्रीन अमीटिज फारसेप्स
53.	यूटरस होत्डिंग फारसेपा
54.	क्षेक्स फॉरसेप्स
55.	आरर्ट्रा फॉरसेप्स (लोग, ऑर्ट, मास्क्यूटो)
56.	विभिन्न आकार की कैंची
57.	आब्स्ट्रेटिक फारसेप्स
58	टंग डिप्रेसर
59	एन्डोट्रिकयल ट्यूब
60	बीपी एप्रैटस
61	एचएसजी कैनल
62	कार्ड काटने का उपकरण
63.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक
64.	व्तैडर साउन्ड

(च) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

•	
क.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
I	शल्य
1.	स्पोट लाइट (छत में फिटकी हुई शैडोलैस)

		TAKINDIORATI	PART III—SEC.
	2.	नीडल होल्डिंग फारसैप्स (बड़ी छोटी मध्यम आकार)	
	3.	एप्रन	
	4.	स्पैसिमेन जार	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	5.	एसोर्टिंड साइज के ड्रैसिंग ड्रम	
	6.	ड्रम स्टैण्ड	
	7.	आई.वी. स्टैण्ड	
	8.	एक्सरे व्यू बाक्स ;डबलख	
	9.	सर्जन्स गाउन	
	10.	मास्क एण्ड कैप	
	11.	गौज, काटन एवं पट्टियाँ	
	12.	विभिन्न साईज के ग्लवस	
	13.	चीटल्स फॉरसैप्स	
	14.	टावल क्लिप्स	
	15.	कास्क्यूटो फॉरसैप्स	
4	16.	सीधी कैंची (टेलर)	
	17.	विभिन्न साईज की कवर्ड सीजर	·
	18.	स्टिज रिमुवल सीजर	
	19.	डिसैक्शन फॉरसैप्स	
	20.	साइनस फॉरसैप्स	
	21.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज	
	22.	पाइन्टड सीजर्स	
	23.	गैस्ट्रिक इंटस्टिनल क्लैम्प (आक्लूसिव क्रिशंग)	
	24.	एब्डामिनल रिटैक्टर्स	
	25.	टिशू फारसेप्स	
	26.	वैब कोक्स फारसेप्स	
	27.	कोचर्स फारसेप्स	
	28.	यूरिश्रल डायलेटर	
	29.	रबर कैथेटर ऑफ असार्टड साइज	
	30.	मेंटल कैथेटर	
L	31.	कारूगेटड रबर ड्रेन	
	32.	सूचरिंग नीडिल ;स्ट्रेट/कर्कद्ध	
	33.	सर्जिकल थ्रेड	
_	34.	स्पंज होत्डिंग फॉरसेप्स	
	35.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसैप्स	
	36.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स	
			· 1

]_	37.	प्राक्टोस्कोप विद/विदआउट इल्यूमिनेटर
	38.	बेगीज मेगार्स
	39.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल
	40	एलीस फॉरसेप्स बिग
	41.	पाइल होल्डिंग फॉरसेप्स
	42.	आर्टरी फॉरसिप्स स्मॅाल
	43.	आर्टरी फॉरसिप्स बिग
	44.	आर्टरी फॉरसिप्स मीडियम
.	45.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फलैक्सिबल
	46.	बैरन पाइल्स गन
-	47.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)
	48.	बोइल्स अपैरेटस
	49.	मल्टीपैरामीटर मानीटर
1	50.	अम्बू बैग
 	51.	सक्शन मशीन इलैकिट्रकल ⁄मैनुअल र्
	52.	जनरेटर
-	53.	एमर्जेंसी लाईट
	54.	फायर एक्सटिंग्विशर
	55.	स्किन ग्राफटिंग नाइफ विद हैण्डल
1	56.	सर्जिकिल ब्लेड्स ऑफ डिफरैन्ट साइज
-	57.	बी.पी.हैण्डल ऑफ डिफरैन्ट साइज
-	58.	वर्टिकल बी.पी. इन्सट्रूमेन्ट
	59.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर
	60.	बोन ड्रिल मशीन
·	61	बोन कटर
	62.	गिग्ली सा
	63,	स्कूप
Ī	64.	पैरीआस्टियम एलीवेटर
-	65.	मैग्लर फॉरसेप्स
	66.	ई.टी.ट्यूब्स ऑफ डिफरेन्ट साइज
	67.	हाई प्रेशर आटोक्लेव
-	68.	फ्यूमिगेटर
j 	69.	रैफरीजिरेटर
-	70.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
· -	71.	एग्जास्ट फैन
· i		<u></u>

72.	एक्स-रे व्यू बॉक्स
73.	आटोलेनिन वाशिंग मशीन
74.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल
75.	शैडोलैस लैम्प सीलिंग
76.	एनस्थीसिया ट्राली/वाएल्स अपैरेटस
77.	इन्स्ट्रूमेन्ट ट्राली
78.	इन्डो ट्रेकियल ट्यूव
79.	अम्वू वैग
80.	प्राक्टोस्कोप विद या विदआउट इल्यूमिनेशन
81.	रिवाल्विंग स्टूल
82.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज
83.	स्ट्रेचर ट्राली
84.	मास्किटो फॉर्सेप्स
85.	पाइल होल्डिंग फॉर्सेप्स
86.	नीडिल होल्डर
87.	बी.पी. एप्रेटस
88.	सक्शन मशीन
II	शालाक्य
	नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र
89.	कोएक्सियल इल्यूमिनेशन एण्ड फुट कंट्रोल के साथ आपरेटिंग माइक्कोस्कोप
90.	बइपोलार वैट फील्ड कार्ट्री
91.	मिनी हैलोजन लाईट (टेबल माउँटिंग)
92.	d
	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद
93.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मेट्स सहित केस
93. 94.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस जैन्स इन्सर्शन फॉर्मेप्स
L	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉर्मेप्स किराटोम
94.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस जैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स किराटोम
94. 95.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉर्मेप्स किराटोम
94. 95. 96.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस जैन्स इन्सर्शन फॉर्मेप्स किराटोम वराक्वयर वायर स्पैक्यृलम (युवा/वयरक/बाल्यावस्था)
94. 95. 96. 97.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस लैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स किराटोम वराक्क्यर वायर स्पैक्यूलम (युवा/वयस्क/बाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर
94. 95. 96. 97. 98.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस लैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स किराटोम वराक्वथर वायर स्पैक्यूलम (युवा/वयस्क/बाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर कैट पाव लैक्किमल रिट्रेक्टर
94. 95. 96. 97. 98.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स किराटोम वराक्वयर वायर स्पैक्यृलम (युवा/वयरक/बाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर कैट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर मूलर लैकिमल सेक रिट्रेक्टर इस्टूर आईरिस रिट्रेक्टर कारट्रो विजो कैलीपर
94. 95. 96. 97. 98. 99.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स / मैट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉसेंप्स किराटोम वराक्वयर वायर स्पैक्यूलम (युवा / वयरक / वाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर केट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर मूलर लैकिमल सेक रिट्रेक्टर इस्टूर आईरिस रिट्रेक्टर कारट्रो विजो कैलीपर
94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मेट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉर्मेप्स किराटोम वराक्क्यर वायर स्पैक्यृलम (युवा/वयस्क/वाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर केट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर मूलर लैकिमल सेक रिट्रेक्टर इस्टूर आईरस रिट्रेक्टर कारट्रो विजो कैलीपर मीयरहाफर चेलेजियन क्यूरेट सिंस्काई लैन्स मैनिपलेटिंग हक
94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.	स्टैरिलाइज़िंग बाक्स/मैट्स सहित केस तैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स किराटोम वराक्वयर वायर स्पैक्यृलम (युवा/वयरक/बाल्यावस्था) डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर कैट पाव लैकिमल रिट्रेक्टर मूलर लैकिमल सेक रिट्रेक्टर इस्टूर आईरिस रिट्रेक्टर कारट्रो विजो कैलीपर

_	 -	
Γ	105.	फारेन बाडी स्पड
	106.	िल्वस लैन्स लूप ;वैक्टिसद्ध
	107.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून
-	108.	म्यूल एविसरेशन स्पून
	109.	वैल्स इन्यूक्लिएशन स्पून
	110.	टाइरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डिड)
Ţ	111.	टूक्स कार्नियल नाइफ
T	112.	ग्रेफ स्ट्रेबिस्मस हुक
	113.	जेमसन मसल हुक
ſ	114.	स्मिथ लैन्स एक्सप्रैसर
f	115.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाइंट
-	116.	बराक्वयर ब्लेड ब्रेकर एण्ड होल्डर
F	117.	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर
	118.	कैली ग्लूकोमा पंच
	119.	वैस्ट लैकिमल चिसल
-	120.	इलिवेटर (डबल इण्डिड)
	121.	मैलट
	122.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)
	123.	पिगटेल प्रोब विद सचूर होल
F	124.	वाइल्डर पंक्टम डाइलेटर
ŀ	125.	बोमैन लैकिमल प्रोब
-	126.	टावेल क्लैम्प
ļ	127.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स
Ī	128.	कोलिब्रो फॉरसेप्स
	129.	टांइग प्लेट फार्म के साथ मैक पर्सन कार्नियल फॉर्सेप्स
	130.	केलमैन मैक फेर्सन एंग्ल्ड फॉर्सेप्स
ļ	131.	मैक फेर्सन टाइंग फॉर्सेप्स
	132.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड
ļ	133.	मृर फील्ड कंजिक्टवल फॉर्सेप्स
	134.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स
	135.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स
	136.	अरूगा कैप्सुलर फॉर्सेप्स
	137.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प
	138.	चलैजियन क्लैम्प
	139.	कैस्ट्रोविजो कार्नियल सिज़र
- 1		

140.	आइरिस सिज़र
141.	वैस्टकाट टेनोटामी सिज्र
142.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र
143.	डी-वेकर आइरिस सिज़र
144.	स्ट्रेबिस्मस सिज़र
145.	इन्यूविलएशन सिज़र
146.	बराक्वयर नीडल होल्डर
147.	कास्ट्रोविजो माइक्रो नीडल होल्डर
148.	सिल्कॉक नीडल होल्डर विद सिड लाक
149.	एयर इन्जक्शन कैन्यूला
150.	हीलान एस्पिरेटिंग कैन्यूला
151.	ए.सी.वास कैन्यूला
152.	लैकिमल कैन्यूला
153.	हाइड्रोलाइसिस कैन्यूला
154.	जे-लूप कैन्यूला (राइट ∕लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)
155.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्यूला विद सिलीकॉन ट्यूबिंग
156.	इरिगेटिंग एस्पाइरेटिंग हैण्डल
157.	लैंस डायलर
158.	सुपीरीयर रेक्टस फारसेप्स
159.	आई वास ग्लासेस (तर्पण कम हेतु)
160.	स्विमेंग गागल्स (तर्पण कम हेतु)
III	ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण
161.	आरल सिरिज
162.	जाबसन्स आरल प्रोब
163.	यूस्टेकियन कैथेटर
164.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर
165.	मैस्टाइड गाग
166.	मैलट
167.	मैस्टाइड सैल सीकर विद स्कूप
168.	नेजल फारेन बॉडी हुक
169.	नेजल पैकिंग फारसेप्स

170.	एंट्रल ट्रोकर केन्द्रला	
171.	एंट्रल बर	
172.	नेजल स्नेर	
173.	फ्रीरस सेप्टल नाइफ	
174.	बैलिंगर्स स्वीवेल नाइफ	
175.	बेयोनेट शेप्ड गाज	
176	वाल्समैन फारसेप्स	
177.	लैरिन्जियल फारसेप्स	
178.	वयल डेविस माउथ गाग	
179.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्सन	
180.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स	
181.	टांसिलर सक्सन	
182.	टांसिलर डिसेक्टर	
183.	टांसिलर सुरार	
184.	गिलोटिन	
185.	एडिनायड कर्टल विद केज	
186.	पेरीटांसिलर एब्सिस डेनिंग फारसेप्स	
187.	फुलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब	<u> </u>
188.	स्टेरिलाइजर बाक्स	
189.	चीटल्स फारसेप्स	
190.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान गल्प्स, सिरिंज, बैन्डेजस सूचर्स अ	ाद
191.	इ.एन.टी. आपरेटिंग माइक्रोस्कोप एण्ड लैंस	

(छ) बहिरंग रूग्ण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

1	कायाचिकित्सा	एक्स-रे व्यू बाक्स
<u> </u>	W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
		एग्जामिनेशन टेबल
		थर्मामीटर

-		टंग डिप्रेसर
-		काटन बाल्स
<u> </u>		टार्च
		मेजरिंग टेप
		वेट एण्ड हाइट मेजिरंग स्टैंड
		नी हेमर
<u>.</u>		वाशबेसिन
2.	शल्य	हाथ धोने की व्यवस्था
		ड्रेनेज फैसिलिटी
		माइनर ओ.टी.
		इस्टरूमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन
		एग्जामिनेशन टेबल
		बी.पी. एप्रेटस
		थर्मामीटर
		सर्जिकल ब्लेड
		काटन बाल्स
- 		गाज पीसस
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
		चीटल फारसेप्स
		टार्च
3.	शालाक्य	ट्यूनिंग फार्क
_		आपथैल्मोस्कोप /फंडोस्कोप
		आरो स्कोप
		एग्जामिनेशन टेबिल
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
	<u> </u>	थर्मामीटर
		बैटने की व्यवस्था
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		इ.एन.टी. किट
— — 		टार्च
	पादि पर्व स्तिन	बुल्स लैम्प
	प्रसृति एवं स्त्रीरोग	वेंइंग मशीन
		सिम्स स्पैक्यूलम

`		थर्मामीटर
		कस्कोस स्पैक्यूलम
		एग्जामिनेशन
<u> </u>		लैम्प स्टैण्ड
<u> </u>	 	टार्च
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
	<u> </u>	मेजरिंग टेप
		वासबेसिन
5.	बालरोग	स्केल
J.	HICKET	वेइंग मशीन
ļ		टार्च
ļ		व्यू बाक्स
<u> </u>		थर्मामीटर
ļ		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
·		एग्जामिनेशन टेबिल
		बैठने की व्यवस्था
6.	पंचकर्मा	कायचिकित्सा के आधार पर
7.	योग एवं स्वास्थ्य रक्षण	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)
8.	आपात स्थिति	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)

प्रेमराज शर्मा, निबंधक-सह-सचिव [विज्ञापन]]]/4/असाधारण/124/12]

नोट : अप्रेंजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अप्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2012

No. 28-15/2011-Ay. (Minimum Standards).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

- 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
 - (b) "college" means an Ayurveda College or Institute conducting or proposed to conduct degree course of Ayurveda;
 - (c) "attached hospital" means a teaching Ayurveda hospital attached to the college.
- (2) Words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.
- 3. Minimum Standard Requirements.-(1) The Ayurveda colleges established under section 13A of the Act and existing Ayurveda colleges under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the minimum standards requirements of infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 by the 31st December, 2014 for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic years.
- (2) If a college fulfills the requirement by the 31st December, 2014 as per these notified regulations, it shall be granted permission to undertake admissions for a period not exceeding five years during which the college shall not be inspected, except for random checks on receipt of any complaint, or otherwise as deemed necessary either by the Central Government or by the Central Council of Indian Medicine. The Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission.
- (3) The conditional permission shall be granted only to those colleges which are fulfilling at least the requirement of teachers as specified in the Schedule-V, the requirement of functional hospital as specified at sub-regulation (2) of regulation 7 and availability of equipment as specified in the Schedule-VII for each academic year 2013-14 and 2014-

15 on the basis of the separate inspections to be carried by the Central Council of Indian Medicine after the 28th February, 2013 for the academic year 2013-14 and after the 31st December, 2013 for the academic year 2014-15. Such conditionally permitted colleges or which have been denied permission during academic year 2013-14 and/or 2014-15, will be required to fulfill the requirements as specified in these regulations by the 31st December, 2014.

- (4) All the existing colleges, which are not able to achieve full compliance of the requirement as specified in these regulations by the 31st December, 2014, shall be denied permission from academic year 2015-16 onwards and action as envisaged under section 21 of the Act shall be initiated against all such colleges apart from rejection of their applications under sections 13A or 13C, which have been under consideration by way of conditional permissions or denials.
- Requirement of Land .- The total build up area required for adequate infrastructure 4. including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations. is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats. For intake capacity from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer. The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land. The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio (FAR) or Floor Space Index (FSI) allowed by the competent authority or local laws or rules. A certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Central Government. There should be separate buildings for the college and hospital as per the requirements mentioned in the Schedule-I and the Schedule-II. The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, of not less than ninety nine years or maximum permissible period as per State regulations. Renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease. This requirement is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003.

Explanation.- The floor area ratio (FAR) or floor space index (FSI) is the ratio of the total floor area of buildings on a certain location to the size of the land of that location, or the limit imposed on such a ratio.

Requirement of minimum constructed area.

- (1) College and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty and four thousand and three thousand and five hundred square meter area for college and hospital respectively for intake capacity of sixty one to hundred students. College and hospital should be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II.
- (2) The college shall also maintain other infrastructural requirements like sufficient accommodation to work comfortably, for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital. The herbal garden should have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

Admission Capacity.- The annual intake capacity in under graduate course will be in 6. the slabs of sixty and hundred. If any college has the intake capacity of less than sixty or within sixty one and hundred seats, it has to comply with the requirements for sixty or hundred seats respectively as mentioned in the Schedules-I to Schedule-VII.

7. Requirements of teaching Hospital.-

students

- The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State (1)or Union Territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union Territory shall verify the availability of such permission(s) or clearance(s) before issuing the No Objection Certificate to such applicant colleges.
- Requirement of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance: (2)The ratio of students with number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance shall be 1:1, 1:1 and 1:2, respectively for under graduate course, as given in Table-1. Distance between two beds in General Ward should not be less than one and a half meter.

Intake capacity per year	number of	average number of patients in In Patient	Patient Department during last one calendar year (365 days) (1:2
60 students	60 beds	24	120
61 to 10 0	100 beds	40	200

40

200

Table-1.

- Maintenance of Record of attendance of Out Patient Department/In Patient Department patients: The College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out Patient Department and In Patient Department. The college shall also maintain the Department wise Out Patient Department and In Patient Department records, case papers of Out Patient Department and In Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- Space requirement: The hospital shall be suitably spacious to accommodate Out (4) Patient Department and In Patient Department and wards in addition to reception, patients' waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Pancharkarma therapy section, Ksharsutra therapy section, Operation Theatre, Labour Room, Store Rooms, separate wards

for male and female, Duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital. The specification of built up area in the attached hospital shall be as per Schedule-1.

- (5) Outdoor Patient Department: The hospital shall have minimum eight following Out Patient Departments-
 - (i) Kayachikitsa
 - (ii) Panchakarma
 - (iii) Shalya Tantra
 - (iv) Shalakya Tantra (two rooms for Out Patient Departments)
 - (a) Netra Roga Vibhaga
 - (b) Karna-Nasa-Mukha evam Danta Roga Vibhaga
 - (v) Prasooti evum Striroga
 - (vi) Kaumara Bhritya (Balaroga)
 - (vii) Swasthavritta evum Yoga
 - (viii) Aatyayika (Emergency)
- (6) In-Patient Department: The indoor department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under -

I D. Cart Departments	Distribution	60 beds	100 beds
In Patient Departments Kayachikitsa	40% beds	24	40
(Panchakarma, Rasayana and Manas Roga			
etc) Shalya Tantra	20% beds	12	20
Shalakya Tantra	10% beds	6	10
Prasooti evum Striroga	20% beds	12	20
Kaumara Bhritya(Balaroga)	10% beds	6	10

- (7) Rog Nidan avum Prayogshaliya Parikshan Prayogshala (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations): There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with proper infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule-II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Ayurvedic diagnostic techniques on the patients referred from outdoor and indoor departments of the hospital.
- (8) Hospital Staff: The minimum staff required for a sixty bedded hospital shall be as specified in the Schedule-IV and it shall be liable to be increased proportionately in accordance with the increase in required bed strength.
- 8. Requirements of College.- (1) Teaching Staff: There shall be minimum thirty full time teachers and forty five full time teachers appointed on regular basis for intake capacity of up to sixty students and sixty one to hundred respectively with the addition of nine part time teachers (eight teachers of Modern Medicine and one Yoga teacher) for each slab as specified in the Schedule-V.

- (2) Age of superannuation of teachers: The age of superannuation of teachers shall be seventy years. Retired teachers fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed up to the age of superannuation as full time teacher.
- (3) Requirement of technical and other staff: Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous Requirements.-

- (1) Office Support: Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.
- (2) College Council: Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson. The Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters. The Council shall also organize interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.
- (3) College Website: Each and every college or institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-
 - (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, Registration Number, qualification, date of joining, complete address with telephone/mobile nos. and STD code, fax and E-mail etc;

(b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;

(c) non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;

- (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduates;
- (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise (under graduate and post graduate) for the current and previous year;

(f) any research publications during the last one year;

- (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
- (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
- (i) details of the affiliated university and its Vice-Chancellor and Registrars;
- (j) result of all the examinations of last one year;
- (k) detailed status of recognition of all the courses;
- (l) details of clinical material in the hospital.
- (4) Biometric Attendance: It is desirable to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching, non teaching college staff and hospital staff.
- 10. Phase wise specific requirements of new colleges.— (1) An Ayurveda college seeking permission for starting Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (Ayurvedacharya) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish

infrastructure and manpower in phased manner as provided in sub-regulations (2) to (5) of this regulation.

- (2) Before admission of the first batch of students for intake capacity of sixty students, the college shall have
 - at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 in the land earmarked for college and attached hospital for the last one year;
 - (b) all teachers with the requisite qualifications as mentioned in Regulation 8, required for first professional year teaching should be available. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (c) at least one specialist doctor or clinical teacher, each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasooti Tantra evum Stri Roga and Bal Roga appointed for operating the hospital;
 - (d) a library with two thousand books, sitting capacity of hundred students and adequate staff;
 - (e) a properly furnished and well-equipped two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year teaching;
 - (f) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land with plantation of at least one hundred species of medicinal plants; and
 - (g) fifty percent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms.
 - (3) The College will be visited at least three months before the admission of the second batch of students and at that time the college shall have-
 - (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first and the second professional years teaching and training should be appointed. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (b) at least one specialist doctor and one clinical teachers in each of Kayachikitsa, Shalya, Shalakya, Prasuti Tantra and Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
 - (c) a library with five thousand books, sitting capacity of hundred and fifty students for sixty admissions and two hundred and fifty sitting capacity from sixty one to hundred admissions and adequate staff;
 - a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teaching;

- (e) one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cumdemonstration hall in the medicinal plant garden;
- (f) fully developed buildings for college and laboratories and teaching pharmacy;
- (g) there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (h) seventy five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
- there shall be an Teaching Pharmacy (Rasayanashala) attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana with minimum area of fifty square meter consisting of equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.
- (4) The College will be visited at least three months before the admission of third batch of students and at that time the college shall have-
 - (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first, second and third professional year teaching and training should be appointed. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (b) at least one specialist doctor and one clinical teachers in each of Kayachikitsa, Shalya, Shalakya, Prasuti Tantra and Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
 - (c) a library with five thousand books, sitting capacity of hundred and fifty students for sixty admissions and two hundred and fifty sitting capacity from sixty one to hundred admissions and adequate staff;
 - a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teaching;
 - (e) one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cumdemonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (f) fully developed buildings for hospital, college and laboratories and teaching pharmacy;
 - there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (h) seventy five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
 - (i) there shall be an Teaching Pharmacy (Rasayanashala) attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana with minimum area of fifty square

meter consisting of equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.

- (5) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
 - (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in Regulation 8 in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third and fourth professional years teaching and training;
 - (b) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the specified norms;
 - (e) a library with seven thousand and five hundred books, sitting capacity of more than hundred and fifty (for up to sixty intake capacity) and two hundred and fifty person (for up to hundred intake capacity) and adequate staff;
 - (d) a fully developed medicinal plants garden with at least two hundred and fifty species of medicinal plants;
 - there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (f) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities; and
 - (g) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital.
- (5) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as mentioned under regulation 10. It shall be the responsibility of the college to apply to the Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission. This process of renewal permission will continue till such time the establishment of the medical college is completed for passing-out of the first batch.
- 11. List of equipment, machinery, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent of required equipment, machinery etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedule-VII.

SCHEDULE-I

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6, sub-regulations (4) and (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF AYURVEDA COLLEGE

Sl. No. Particulars	Built up ard	
	Up to 60	61 to 100
	students	students
(1) (2)	(3)	(4)
I. Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II. Hospital Administration Block:	100	150
1. Superintendent room	100	159
2. Deputy Superintendent room		
3. Medical officers' room (for two Resident Medical Officer or		
Resident Surgical Officer)		
4. Matron room		
5. Assistant Matron room (for two)		
6. Reception and Registration		
III. Out-Patient Departments (OPD)	300	470
1. Kayachikitsa Out Patient Department with toilet and wash		
basin		
2. Shalya Out Patient Department with toilet, wash basin and		
Examination Room		
3. Shalakya Tantra Out Patient Department with toilet and wash		
basin		
4. Stri Roga evum Prasooti Tantra Out Patient Department with		
toilet and Examination Room		
5. Kaumar Bhritya(Balarog) Out Patient Department with toilet	•	
and wash basin		
6. Swasthavritta evum Yoga Out Patient Department with		
demonstration area, toilet and wash basin		
7. Atyayika (Casuality) section with toilet and wash basin		
8. Dressing and First Aid Room, Kshar Sutra Room		1
9. Dispensary	*	
10. Waiting Space space for patients	•	
11. Store		
12. Male and Female Toilets for patients		·
IV. In Patient Departments (IPD)	900	1650
Kayachikitsa Male Ward with attached toilet and bath room		
2. Kayachikitsa Female Ward with attached toilet and bath room		
3. Panchakarma Male Ward with attached toilet and bath room		
4. Panchakarma Female Ward with attached toilet and bath room		
5. Shalya Male Ward with attached toilet and bath room		
6. Shalya Female Ward with attached toilet and bath room		
7. Shalakya Tantra Ward with attached toilet and bath room		
8. Prasooti evum Stri Roga Ward with attached toilet and bath		<u> </u>

Sl. No. Particulars	Built up are level (in squ	
	Up to 60 students	61 to 100 students
	(3)	(4)
(1) (2)		
room		
9. Kaumar Bhritya (Balaroga) Ward with attached toilet and		
bathroom for each department with attached	•	
10. Doctors' duty room one for each department with attached		
toilet and bath 11. Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached	· -	
11. Nursing start duty rooms, one in each ward with attached		
toilet-bath. 12. Store room for linen, etc.		
	150	250
V. Operation Theaters Block. 1. Major Operation Theatre		
Major Operation Theatre Minor Operation Theatre		•
Shalakya Operation Theatre		
4. Labour Room with attached toilet and bath room	1	
5. Neonatal care room		
6. Central sterlisation/autoclave unit	i ·	
7. Scrub room	1	•
	1	
Two Recovery room Doctor's duty room with attached toilet and bath room	1	
10. Interns/house officer/resident doctors room with attached toilet	1	\
and bath room		
11. Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI. Panchakarma Block:	260	350
1. Snehana Kaksha (Male)	1	
2. Snehana Kaksha (Female)	1	, .
3. Swedana Kaksha (Male)	1	
4. Swedana Kaksha(Female)	1	
5. Shirodhara Kaksha(Male)	1	
6. Shirodhara Kaksha(Female)	1 .	
7. Vamana Kaksha(Male)	7	
8. Vamana Kaksha(Female)		
9. Virechana Kaksha(Male)	1 .	
10. Virechana Kaksha(Female)	1	
11.Basti Kaksha(Male)	1	
12.Basti Kaksha(Female)	1	
13.Rakta Mokshana, Jalaukavacharana,	7	.
Agnikarma, Pracchanna etc Kaksha		
14.Panchakarma therapist/Physician's room	7	
15.Panchakarma store room	╡.	
16. Four attached toilet-baths for males and four for females with	╗	
wash basin and geyser facility in each. These will be in addition to		-
the toilets of wards.		
VII. Physiotherapy Unit:	75	130
1. Physiotherapy Room	7	

Sl. No. Particulars	Built up ar level (in squ	
	Up to 60 students	61 to 100 students
(1) (2)	(3)	(4)
2. Physiotherapist room		
VIII. Central Laboratory: Well equipped and spacious area of two hundred square meter with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other diagnostic tools for ECG or TMT etc. shall be provided.	100	150
IX. Radiology or Sonography Section: Radiologist chamber, X-ray room, Dark room, film drying room, store room, patients waiting and dressing room, reception or registration or report room.	50	100
X. Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
XI. Stores/Mortuary:	25	50
TOTAL	2,000	3,500

Note:

- 1. The above indicated subdivided area among various components may vary within ± 20% but the total area of attached hospital should be as per the area mentioned at regulation 5.
- 2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Ayurvedic College with annual intake capacity of sixty one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6 and sub-regulation (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDA COLLEGE

SI. No.	Particulars	Built up are level (in squ	-
		Up to 60 students	61 to 100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total constructed area of college building	2,000	4000
(1)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerks' room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecture Halls: There shall be five Lecture halls for sixty students and ten Lecture halls for above sixty one to hundred students, each of eighty square meter area, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans/coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar or Conference or Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities	150	300
(4)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least hundred students, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans/coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Ayurveda, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand and seven thousand five hundred respectively before the admission of second and third batches of students. The college with existence for	100	200

SI. No.	Particulars	Built up ard level (in squ	
		Up to 60 students	61 to 100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
	five years or more shall have ten thousand books.		
(5)	Teaching Departments: There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers (twenty five square meter for Professor and Head, twenty square meter for Associate Professors or Readers and fifteen square meter for Assistant Professors or Lecturers), a small departmental library (twenty five square meter), a small office (fifteen square meter), working accommodation for non-teaching staff (fifteen square meter) and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department. Department wise area requirement shall be as under:-	Total 1200 square meter and break up may be as follows:	Cotal 2400 square meter and break up may be as follows:
·	(i) Samhita, Sanskrit and Siddhanta Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100
	(ii) Rachana Sharir Department plus a well-ventilated Dissection Hall well-ventilated with exhaust fans and preferably air-conditioned, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Rachana Sharir museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
	(iii) Kriya Sharir Department plus Kriya Sharir (Physiology) laboratory with optional facility for biochemistry testing;	75	150
	(iv) Dravyaguna Department plus Herbarium-cum Dravyaguna museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	125	250
	(v) Rasa Shastra evum Bhaisajya Kalpna Department plus Rasa Shastra laboratory and museum; Drug Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	75	150
	(vi) Nidan evum Rogavigyan Department plus Vikriti Vigyan (Pathology) Laboratory:	75	150
	(vii) Swasthavritta and Yoga Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital:	75	150
	(viii) Agada Tantra evum Vidhi Vaidyak Department plus museum.	- 50	100
	(ix) Kayachikitsa Department;	75	150

i.	Particulars	Built up area level (in squa	re meter)
Sp.		Up to 60 students	61 to 100 students
a .	(2)	(3)	(4)
)	(x) Panchakarma Department;	37	75
	(xi) Shalya Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery (Yogya) Laboratory;	75	150
	(xii) Shalakya Department plus museum cum tutorial room;	75	150
	(xiii) Prasooti evum Stri Roga Department plus museum cum tutorial room; and	50	100
	(xiv) Kaumar Bhritya (Balaroga) Department plus museum cum tutorial room. *Note- Working tables of ull the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.	38	75
(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Ayurveda medicines like Churna, Vati, Guggulu, Asavaarishta, Sneha Kalp, Ksahar and Lavana, Lauh, Avaleha, Kupipakva Rasayana etc., a raw drug store and in-house	100	200
(7)	fifty square meter area for boys and girls with adequate	50	100
(8)	sitting arrangement shall be available. Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about hundred persons shall be available in the college premises.	50	100

Note:

- 1. The above indicated subdivided area among various components may vary within ± 20% but the total area of an Ayurveda College should be as per the area mentioned at regulation 5.
- The break-up of built up area requirement of an Ayurveda College with annual intake capacity of sixty one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.

SCHEDULE-III

[See sub-regulation (2) of regulation 5 and regulation 6]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN AYURVEDIC COLLEGE

No. (1)	Particulars (2)	Built up area (in square meter)	
	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty five to fifty square meter area shall exist with the college.	Up to 60 students (3) 2500	61-100 students (4) 4000

Note:

- 1. The above indicated area may vary within \pm 20% within the total area of Ayurvedic College as specified at regulation 4.
- 2. At the time of inspection/visitation, at least hundred fifty species of medicinal plants should be available.

SCHEDULE-IV
[See sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (8) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDIC COLLEGE HOSPITAL STAFF

Sl.No.	Post	Eligibility
(1)	(2)	(3)
1.	Hospital Superintendent	1. A recognized post graduate degree.
	·	2. Principal or Dean as ex-officio.
,		3. The post of Medical Superintendent shall
		continue if it is already in existence with
		not less than qualification of the professor.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. A recognized post graduate degree.
		2. Full time regular incumbent with
	·	postgraduate qualification in a clinical
		specialty other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments including
ļ		Swasthavritta and Yoga Department.
4.	Emergency Medical Officers	2
5.	Resident Medical Officers or	05 (01 Kayachikitsa, 02 Prasuti and
	Surgical or Medical Officer (RMO	Striroga and 01 in Shalya and 1 in
	or RSO or MO)	Kaumarbhrittya)
6.	Matron or Nursing Superintendent	1
7.	Staff Nurses for In Patient	1 for every 10 beds.
	Department	<u> </u>
8.	Ward Boy or Ayah	1 for every 20 beds.
9.	Pharmacists	2
10.	Dresser	2
11.	Store Keeper	1
	Office Staff (for registration, record	2
	maintenance, data entry etc.)	
12.	Dark-Room Attendant	I
13.	Operation Theater Attendant	1
	Modern Medical Staff	
14.	Medical Specialist	1 part time/on contract
15.	Surgical Specialist	1 part time/on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	1 part time/on contract
17.	Pathologist	1 part time/on contract
18.	Anaesthesiologist	l (Postgraduate in Allopathic
		Anaesthesiology on contract or
		Sangyaharan of Ayurvedic discipline) from
		teaching department of Shalya.
19.	Opthalmologist	1 part time/on contract
20.	Pediatrician	1 part time/on contract
21.	Radiologist	1 (Postgraduate in Allopathic Radiology on
	-	contract or Vikiran Vigyan of Ayurvedic
		discipline) from teaching department of
		Shalya.
		

SI.No.	Post	Eligibility	
(1)	(2)	(3)	
22.	Dentist	1 part time/on contract	
23.	X-Ray Technician or Radiographer	1	
Staff for Panchakarma Therap		Section for Out-Patient Department(Out	
	Patient Department) and In-Patien	t Department(In Patient Department)	
24.	Panchakarma Specialists	Teachers of Panchakarma teaching department	
25.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Ayurvedic)	1	
26.	Panchakarma Nurse	I (in addition to the nurse indicated at sline, 7).	
27.	Panchakarma Assistant	2 male and 2 female	
28.	Yoga teacher or expert	l (from Swasthavritta and Yoga Department)	
	Staff of Operation Theatre and Ks		
29.	Shalya and Ksharsutra Therapy Specialists	Teachers of Shalya department	
30.	Operation Theatre Attendant		
31.	Nurses	1; these will be in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7.	
1.	Labour Room	The second section of the second section of the second sec	
32.	Prasooti evum Stri Roga Specialists	Teachers of Prasooti evum Stri roga department	
33.	Midwife		
	Clinical Laboratory		
34.	Pathologist or Microbiologist	1	
35.	Laboratory Technicians	2	
36.	Peon or Attendant	1	
• [Teaching Pharmacy and Quality		
	Testing Laboratory		
37.	Pharmacy Manager or	Teacher of Ras-Shastra, Bhaishajya	
	Superintendent	Kalpana	
38.	Peon or Attendant		
39.	Workers	2 (Need base more number)	
40	Analytical Chemist (Part time)	(Lab. technician provided under non- teaching staff in the Deptt.)	
41.	Pharmacognosist (Parl time)	(Lab. technician provided under non- teaching staff in the Deptt.)	

worm.

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers. Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (1) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washerman, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

SCREDULE-V

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation [3] sub-regulation (1) of regulation 3]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl. Teaching		Requirement of teaching staff					
No.	Department (2)	Upto 60 students (3)		From 61 to 100 students (4)			
(1)	(4)	Prof.		Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
• •	Samhita and Siddhanta		or I	i Ayurveda and I Sanskrit		1	Ayurved and 1 Sanskrit
(2)	Rachna Sharir	i	or 1	1	11	11	1
(~) l.	Kriya Sharir	1	or l	1	11	1	1
`` 	Dravyaguna	1	or 1	1	1	11	<u> </u>
` <u> </u>	Rasashastra Evam Bhaisajya Kalpana	l'	or!		1	1	. 1
(6)	Roga Nidan evam Vikriti vigyana		or :				.·
(7)	Swasthavritta and Yoga	!	or	1	(ĵ	
(8)	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka	1	or I	1	1		<u>!</u>
(9)	Prasooti Tantra evam Striroga	1	or 1	1	1		2
(10)	Kayachikitsa	1		1	1	1	2
(11)	Shalya	+;	or 1	1	1	1	1
$\frac{(13)}{(12)}$	Shalakya	+1-	or 1	1	1	1	11
(13)	Kaumarbhritya (Balroga)	I	or I	1	1	1	1
(14)	Panchakarma	1	or l	1	11	<u> </u>	1
 -	<u> </u>		15	15	14	14	17
	TOTAL		3	30	<u> </u>	45	

Note:

- i. Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Swasthavritta and Yoga and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- ii. The deficiency of teachers shall not exceed more than 10% of total requirement with availability of at least one teacher in each department for seeking conditional permission to undertake admission.
- iii. The provision of Post Graduate qualification in allied subjects under regulation 12 of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2012 shall be applicable also for the post of higher faculty (Professors and Readers) for a period of five years.

SCHEDULE-VI

[See regulation 6 and sub-regulation (3) of regulation 8]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN AYURVEDIC COLLEGE

SI.No.	Department	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Library	Librarian	1
		Assistant Librarian	1
		Library Attendant or Peon	1
2	College Office	Clerical staff for administrative and accounts services	4
3.	Samhita and Siddhanta	Attendant	1
4.	Rachna Sharir	Laboratory Technician	
. •		Museum Keeper	1-
		Lifter	l ₁ .
5.	Kriya Sharir	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	-
6.	Dravyaguna	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	1
7.	Rasa Shastra	Laboratory Technician	1
		Laboratory Assistant	1
8.	Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	Laboratory Technician	2
9	Swasthavritta and Yoga		
10	Agad Tantra evam Vidhi	Museum Keeper	
	Vaidyaka	Attendant	.1
1	Prasuti Tantra and Stri Roga		·
2.	Kaya Chikitsa		
3.	Shalya		
4.	Shalakya	Attendant	2
5.	Panchkarma	-	-
6.	Kaumarbhritya (Balroga)	_	
7.	Herbal Garden	Gardener	
		Multipurpose worker	-
The sweet	oner ettendant life.		2

(The sweeper, attendant, lifter, taboratory assistant, Data Entry Operator (DEO), multipurpose worker could be on contractual basis)

SCHEDULE-VII

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7, sub-regulation (3)(j) of regulation 10 and regulation 11]

(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY LABORATORY

S.NO.	Essential Equipment and Instruments
1.	Microscopes with oil immersion
2.	Westergen's pipette for ESR
3.	Haematocrit Tube
4.	Sahli's Haemoglobinometer
5.	Haemocytometer
6.	Sphygmomanometer
7.	Stethoscopes
8.	Clinical Thermometer
9.	Knee Hammer
10.	Tuning forks
11.	Electrocardiograph
12.	Stop watches
13.	Water Distillation still
134	Thermometers, balances, Microslides,
15.	Cover slips, glassware
16.	Centrifuge with speed control
17.	Colorimeter (photoelectric)
18.	pH meter Electric
19.	pH comparator with disc
20.	Refrigerator
21.	Newton's colour wheel
	in a batch
22.	Spirometer
23.	Tonometer
24.	Hydrometer
2 5.	Viscometer
26.	Osmometer
27.	Stalagmometer
28.	Sterilizer

(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR RASASHASTRA and BHAISHAJYA KALPANA LABORATORY

S.No.	Essential Equipment and Instruments	
1.	Khalva Yantra-	
a.	Small	
Ь.	Medium	
С.	Porcelain	
d.	Tapta khalvyantra	
~ 2.	Heating Device-	
a.	Gas Stove	

b.	Electric stove
<u>c.</u>	Hot plate
3.	Chulla (Charcoal)
	Vessels-
a.	Frying Pan
<u>b.</u>	Steel Vessel
<u> </u>	Spatula
<u>d</u>	Ladles and Spoons
e.	Knife
<u>f</u> _	Plates
g.	Samdamsa Yantra(Tongs)
4.	Measuring Equipments Different Size (Glass)
5.	Big Vessels and Containers-
<u>a.</u>	Brass
b.	Copper
C.	Steel etc.
6.	Balance (Different Capacities)
a.	Physical
b.	Chemical
7.	Pounding Apparatus (Ulukhala Yantra)
8.	Sieves (Assorted Nos. and Size)
9.	Wet Grinder
10.	Mixi
11.	Juice Extractor
12.	Putas (Different kind)
	Pyrometer
14.	Thermo meter
	Pressure Cooker
16.	Moosha (Crucibles)
17.	Koshti with Blower
18.	Refrigerator
	Jars(Porcelain)Fermentation Purpose
<u>20.</u>	Yantras
a.	Dola Yantra
<u>b</u>	Valuka Yantra
c. d.	Pithara Yantra
	Bhudhara Yantra etc.
21.	Distillation Apparatus and Arka Yantra
	Enamel Trays
23.	Spirit Lamp
24.	Microscope
25.	Earthen Vessels-Pots
<u> 26.</u>	Kupipakva Bhatti
<u> 27.</u>	Almiras and Racks for storage

(C) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FORPHARMACOGNOSY LABORATORY [DRAVYAGUNA]

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Field magnifier
2.	Compound microscope
3.	Dissecting Microscope
4.	Microscope
5.	Slides box with cover slips,
6.	Blotting/filter papers
7.	Electronic balance
8.	Dissection Box
9.	Enamel Trays
10.	Reagents-
a.	Chloroform
b	Alcohol.
C.	HCL
d.	Sulphuric acid
e.	Sodium, potassium hydroxide
f.	Benedict solution
g.	Sodium nitrate
h.	Potassium nitrate
i.	Citric acid
j.	lodine
k	Ethyl Alcohol
I.	Potassium Iodide
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)

(D). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR ROG-VIGYAN LABORATORY

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1	Binocular microscope
2	X-ray view box
3.	Sterile disposable lancer/needle
4.	Sahli's Square tube
5.	Hb pipette
6.	Dropper
7	Glass rod
8.	WBC Pipette
9	Improved Neubauer chamber
10.	Cover slip
11.	Red cell pipette
12.	Cleaned slides
13.	Incubator
14.	Wintrobe's tube

· 15.	Pasteur's pipette
16	Centrifuge Graduatee machine
17.	Westregrens pipette
18.	Rubber teat
19.	Westergrens's stand
20.	Litmus paper
21.	pH indicator paper strips
22.	Urinometer
23.	Multi stix-
24.	Bunsen burner
25.	Test tube
26.	Test tube holder
27.	Filter paper
28.	Steel almirah
29.	Steel rack
30.	Glass Jars with lid of different sizes
31.	Glass view rack
32.	Magnifying lens
33.	Autoclave
34.	Water bath
35.	Separating funnels of various sizes
36.	Stop watch
37.	Ultraviolet lamp
38.	Monocular microscope with oil emersion lens 20(e)
39.	Capillary Tubes
40.	Hot air oven
41.	Microscope with oil immersion
42.	Refrigetors
43.	Sterille vessels/bottle to collect samples
44.	BP Apparatus
45.	Stethocope
46.	Thermometer
47.	Tongue depressor
48.	Torch
49.	Knee hammer
50.	Measuring Tape
51.	ENT examination set
52.	Reflectors(Mirrors)
53.	Weighing machine
54.	Tuning Forks
55.	Nasal speculum
56.	Laryngoscope
57.	Catheters
58.	Probes
59.	Disposable Gloves
60.	Physical balance
61.	Syringe needle destroyer
62.	HBs Ag kit

[63.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)
ſ	64.	CT and BT kit
-	65.	Cell counter (haemoautoanalyser)
	66.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit

(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM

S.No.	Essential Equipment and Instruments	
1.	Shadowless Lamp	\dashv
2.	Suction Machine (Neonatal)	ᅱ
3.	Oxygen Cylinder and Mask	
4.	Foetal Toco Cardiograph	
5.	Radient Warner	
6.	Photo therapy Unit	
7.	Weighing Machine (Paediatric)	
8.	Patient trolley	
9.	Anaesthesia trolley	
10.	Infantometer	
11.	Vacuum extractor	
12.	Foetal Doppler	
13.	Low cavity forceps	
14.	Steriliser	
15.	Machintosh rubber sheet	
16.	Catguts and Thread	
17.	Speculum – Sim's	
	-Cuscos	
18.	Instruments for labour and Episiotony.	
	(Scissors, forceps, needle holders etc.)	
19.	Baby tray	
20.	Draw Sheets	
21.	Plastic Aprons	
22.	HIV kit for emergency patients	
23.	Plain and Hole towels	
24.	Gloves	
25.	Nebuliser	
26.	Foetoscope-	
27.	Auto Clave	
28.	Drums	
29.	Instrumental Trolley	
30.	OT tables and head Up and headlow facility	
31.	Double dome Shadowless lamp	
32.	Pulse Oxymeter	_
33.	Oxygen Cylinder	
34.	Resuccitation kit	
35.	Boyle's apparatus	
36.	Electro Cautery	<u>. </u>

S.No.	Essential Equipment and Instruments
37.	MTP Suction Machine
38.	Anaesthesia Kit
39.	Blunt and Sharp Curretes
40.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)
41.	Sims's Speculum
42.	Anterior Vaginal Wall retractor
43.	Cysco's Speculum
44.	Uterine sound
45.	Volsellum
46.	MTP Suction Currate
47.	Needles
48.	Needle holders
49.	Sponge holding forcep's
50.	Towel Clins
51.	Retractors abdominal (Doyne's etc.) Green armytage forcers
52.	Green armytage forceps
53.	Uterus holding forceps
54.	Kocher's forceps
55.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)
56.	Scissors- different sizes
57.	Forceps obstetrics
58.	Tongue depressor
5 9 .	Endotrachial tubes
60.	B.P. apparatus
61.	HSG Canula
62.	Cord Cutting appliances
6 3.	I.U.C.D. removing hook
64.	Bladder Sound

(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE

S.No.	Essential Equipment and Instruments	
Ī	Shalya:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>l</u> .	Spot light (Shadowless ceiling fitted)	
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	
3.	Aprons	
4.	Specimens lar	
5.	Dressing drums of Assorted size	
6.	Drum stand	
7.	IV Stand	
8.	X-ray View Box (double)	-
9.	Surgeon's gawn	
10.	Mask and caps	
11.	Gauze, cotton and Bandage	<u> </u>
12.	Gloves of different size	

-	13.	Cheetles Forceps		
_	14.	Towel Clips		
_	15.	Mosquito forceps		
<u> </u>	16.	Sciessors straight (Tailor)		
-	17.	Scissors curved of different sizes		
-	18.	Stich removal Scissors		
-	19	Dissection forceps		
-	20.	Sinus Forceps		
<u> </u>	21.	Probes - Assorted size		
		Pointed scissors		
		Gastric and Intestinal clamps (occlusive and crushing)		
-	24.	Abdominal Retractors		
-	25.	Tissue Forceps		
	26.	Bob Kock's Forceps		
-	27.	Kocher's Forceps		
	28.	Urethral Dilators		
	29.	Rubber catheters of Assorted size		
	30.	Metal Cathetors		
-	31.	Carrugated Rubber drain		
-	32.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size		
-	33.	Surgical Thread		
-	34.	Sponge holding forceps		
+	35.	Right Angle cholecystectomy Forceps		
F	36.	Stone holding forceps		
+	37.	Proctoscope with or without illuminator		
<u> </u>	38.	Bougies (Megars)		
-	39.	Allies Forceps small		
r	40.	Allies Forceps Big		
·	41.	Pile holding forceps		
.	42.	Artery Forceps small		
	43.	Artery Forceps big		
T	44.	Artery Forceps Medium		
-	45.	Sigmoidoscope Rigid/flexible		
+	46.	Barron Pile's Gun		
1	47.	Laryngoscope Pediatric/Adult		
	48.	Boyles Apparatus		
.	49.	Multiparameter Monitor		
	50	Ambu Bag		
1	5.1	Suction machine Electrical/Mannual		
t	52.	Generator (Minimum 30 KV)		
.	53.	Emergency light		
Ì	54.	Fire Extinguisher		
-	55	Skin grafting knife with handle		
. !	56.	Surgical blades of different size		
. 1	57.	BP Handle of different size		
	58.	Vertical BP Instrument		
	59.	Self Retaining Retractor		
	60.	Bone Drill Machine		
	L			

	61. Bone cutter	
62.	Giggly Saw	
63.	Scoop	
64.	Periasteum elevator	
65.	Maggler Forceps	
66. E.T. Tubes of different sizes		
67.	High Pressure Autoclave	
68.	Fumigator	
69.	Refrigerator	
70.	Nitrous Oxide Cylinder	
71.	Exhaust fan	
72.	X.ray view box	
73.		
operation Table		
76.	Shadow less lamp ceiling	
77.	Anaesthesia Trolley/boyle's Appratus	
78.	Instrument Trolley	
79.	Endotracheal Tube	
	Ambu Bag	
80.	Proctoscope with or without illumination	
81.	Revolving Stool	
82.	Gabrial Syringe	
83.	Strecher with trolley	
84.	Mosquito forceps	
<u>85.</u>	Piles holding forceps	
<u>86.</u>	Needle holder	
<u>87.</u>	BP Apparatus	
88	Suction Machine	
II	Shalakya:	
	Ophthalmic Equipments/ Instruments for Operative Surgery	
89	Operating Microscope with Coaxial Illumination and foot control	
<u>9</u> 0.	Bipolar Wet field cautery	
91	Mini Halogen Light (table mounting)	
92.	Ophthalmic Operation table with Head rest	
93.	Sterilizing box/case with matts	
94.	Lens insertion Forceps	
95.	Keratome	
96.	Barraquer wire speculum (adult/child/infant)	
97.	Desmarres lid retractors	
98.	Cat-paw lacrimal retractor	
99.	Mueller lacrimal sac retractor	
100.	Dastoor iris retractor	
101.		
	Sinsky lens manipulating hook	
104.	Sinsky lens manipulating hook IOL Manipulator	
	Sinsky lens manipulating hook	

107	Custota was and small
107.	Cystotome and spoon
108.	Mule Evisceration spoon
109.	Wells Enucleation spoon
110.	Iris repository (double-ended)
111.	Tooks Corneal knife
112.	Graefe Strabismus hook
113.	Jameson muscle hook
114.	Smith lens expressor
115.	Wills cautery with copper ball-point
116.	Barraquer blade braker and holder
117.	Langs lacrimal sac dissector
118.	Kelly Glaucoma punch
119.	West Lacrimal Chiesel
120.	Elevator (double ended)
121.	Mallet
122.	Nasal speculum adult/child
123.	Pigtail Probe with suture holes
124.	Wilder punctum Dilator
125.	Bowman lacrimal probes
126.	Towel clamp
127.	Hartman mosquito forceps
128.	Colibri forceps 1*2 teech
129.	Mc. person corneal forceps with tying platform
130.	Kelman Mc. Pherson angled forceps
131.	Mc. Phersons tying forceps
132.	Dressing forceps, serrated
133.	Moorfield conjuctival forceps
134.	Fixation forceps
135.	Beer cilea (epilation) forceps
136.	Arruga capsular forceps
137.	Snellen Entropion clamp
138.	Chalazion clamps
139.	Castroviejo corneal scissors
140.	Iris scissors
141.	Westcott tenotomy scissors
142.	Vannas straight scissors
143.	De-Weckers iris scissors
144.	Strabismus scissors
145.	Enucleation sciessors
146.	Barraquer needle holder
147.	Castroviejo micro needle holder
148.	Silcok needle holder with sid lock
149.	Air injection canula
150.	Healon aspirating canula
151.	AC was canula
152.	Lacrimal canula
153.	Hydrodialysis canula
	J-loop canula (rt./lt. With silicon tubing)
154.	J-100p candia (11./11. With Shicon tuonig)

155.	. Simcoe direct I/A canula with silicon tubing	
156.	156. Irrigating aspirating handle	
157.		
158.	Superior Rectus forceps	
159.	Eye wash glasses (for Tarnana Karma)	
160.	Swimming Goggles (for Tarpana Karma)	
III	ENT-Surgical/Operative Procedural Instruments	
161.	Aural Syringe	
162.	Jobson's Aural Probe	
163.	Eustachian Catheter	
164.	Mastoid Retractor	
165.	Mastoid Gouge	
166.	Mallet	
167.	Mastoid Cell seeker with scoop	
168.	Nasal Foreign Body hook	
169.	Nasal packing forceps	
170.	Antral Trocar Scannla	
171. Antral Burr		
172. Nasal Snare		
173.	Freer's septal knife	
174. Ballinger's swivel knife		
175.	Bayonet Shaped gouge	
176.	Walshman's forceps	
177.	Laryngeal forceps	
178.	Boyle-Davis mouth gag	
179,	Tongue plate with throat suction	
180.	Tonsil holding forceps	
181.	Tonsillar suction	
182.	Tonsillar Dissector	
183.	Tonsillar Suare	
184.	Guillotine	
185.	Adenoid curtfle with cage	
186.	Reritonsillar abcess draining forceps	
187.	Fuller's Tracheostomy Tube	
188.	Steriliser box	
189.	Cheatel's Forceps	
190.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras etc.	
191.	ENT operating microscope and lens	

(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
1	Kayachikitsa	X-Ray View Box
		BP Apparatus
		Stethoscope

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
		Sitting arrangement for internees/students
		Examination Table
		Thermometer
-		Tongue depressor
		Cotton balls
		Torch
		Measuring tape
		Weight and height measuring stand
		Knee Hammer
		Washbasin
2	Shalya	Hand washing facility
		Drainage facility
		Minor OT
-		Instruments for anorectal examination
		Examination Table
- -		BP Apparatus
		Thermometer
		Surgical Blades
	 	Cotton balls
		Gauze pieces
<u> </u>		X-Ray Viewing Box
	·	Stethoscope
	 	Sitting arrangement for internees/students
		Cheetle's forceps
	 	Torch
3	Shalalan	Tuning forks
	Shalakya	Ophthalmoscope/ fundoscope
	<u> </u>	Auroscope
		Examination Table
		L
		X-Ray Viewing Box
 	<u> </u>	BP Apparatus
		Stethoscope
		Thermometer
. <u></u>		Sitting arrangement for internees/students
		ENT kit
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	Torch
		Bull's lamp
4	Prasuti and Stri Roga	Weighing machine
. · ·	<u> </u>	Sim's speculum
		Thermometer
		Cusco's speculum
		Examination Table
		Lamp stand
· .		Torch
		X-Ray Viewing Box

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for internees/students
		Measuring tape
		Washbasin
5	Bal Roga	Scale
		Weighing machine
		Torch
'		View Box
		Thermometer
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Examination Table
		Sitting arrangement for internees/students
6	Panchkarma	As per Kayachikitsa
7	Yoga Section (Swasth	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture
	Rakhshan)	etc)
8	Emergency	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.
[ADVT III/4/Exty/124/12]

*If any discrepancy in found between Hindi and English version of the namely "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012" the English version will be treated as final.